Note : The principal regulations were published in the Gazette of India vide S.O. 600, dated the 15th September, 1950 and subsequently amended vide notifications :—

(i) G.S.R. 178 dated the 24th March, 1990.

(ii) G.S.R. 179 dated the 24th March, 1990.

(iii) G.S.R. 488 dated the 9th October, 1993.

(iv) G.S.R. 516 dated the 23rd October, 1993.

(v) G.S.R. 634 dated the 25th December, 1993.

(vi) G.S.R. 107 dated the 26th February, 1994; Errata G.S.R. 223 dated the 14th May, 1994;

(vii) G.S.R. 250 dated the 4th June, 1994.

(viii) G.S.R. 402 dated the 13th August, 1994.

(ix) G.S.R. 427 dated the 20th August, 1994.

(x) G.S.R. 562 dated the 12th November, 1994.

(xi) G.S.R. 607 dated the 10th December, 1994.

(xii) G.S.R. 83 dated the 25th February, 1995.

(xiii) G.S.R. 93 dated the 4th March, 1995.

(xiv) G.S.R. 488 dated the 9th November, 1996.

(xv) G.S.R. 582 dated the 28th December, 1996.

(xvi) G.S.R. 59 dated the 25th January, 1997.

(xvii) G.S.R. 117 dated the 1st March, 1997.

(xviii) G.S.R. 172 dated the 29th March, 1997.

(xix) G.S.R. 221 dated the 21st November, 1998.

(xx) G.S.R. 131 dated the 1st May, 1999.

(xxi) G.S.R. 139 dated the 8th May, 1999. Errata G.S.R. 201 dated 7th April, 2001.

(xxii) G.S.R. 237 dated the 31st July, 1999.

(xxiii) G.S.R. 345 dated the 23rd October, 1999.

(xxiv) G.S.R. 397 dated the 14th October, 2000.

(xxv) G.S.R. 219 dated the 14th April, 2001.

(xxvi) G.S.R. 496 dated the 8th September, 2001.

(xxvii) G.S.R. 672 dated the 15th December, 2001.

(xviii) G.S.R. 127 dated the 13th April, 2002.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 408.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरिंग संस्थान (सहायक निदेशक-सिविल इंजीनियरिंग) भर्ती नियम, 1989 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर में सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरिंग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, डेयरी और पशुपालन विभाग, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर, सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरिंग) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरिंग)
2. पदों की संख्या	:	03* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	8,000-275-13,500 रु.
5. चयन या अचयन पद	:	चयन
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	35 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख, जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	नहीं
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य; और (ii) तटीय इंजीनियरिंग/अन्वेषण और समुद्री संरचनाओं/परियोजनाओं के डिजाइन के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** मत्स्य संवर्धन परियोजनाओं—सर्वे, योजनाओं और डिजाइन का अनुभव।

		टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
		टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं : नहीं परन्तु किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समतुल्य अवश्य रखता हो।
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	66.66 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	प्रोन्नति : (1) ऐसे सहायक इंजीनियर (सिविल) जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। (2) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नियमित आधार पर सहायक इंजीनियर (सिविल) पद पर जिन्होंने इन पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त संस्थानों/ अर्द्ध सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जो मूल काडर/विभाग में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 6500—10500 रुपए या समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष सेवा की हो; या (iii) जो मूल काडर/विभाग में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5500—9000 रुपए या समतुल्य वेतनमान में आठ वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास कालम 8 के नीचे लिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

		प्रतिनियुक्ति की अवधि, अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	:	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) में निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) —सदस्य 3. मात्स्यिकी विकास आयुक्त —सदस्य 4. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरिंग, बंगलौर —सदस्य समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में) निम्नलिखित होंगे :— 1. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) —अध्यक्ष 2. मात्स्यिकी विकास आयुक्त —सदस्य 3. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरिंग, संस्थान —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	:	संघ लोक सेवा आयोग से प्रत्येक बार परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 4-15/99-मात्स्यिकी (प्रशासन)]

आर. के. मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

New Delhi, the 7th November, 2003

G.S.R. 408.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery Assistant Director (Civil Engineering) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Civil Engineering) in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry and Dairying, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry and Dairying, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, Assistant Director (Civil Engineering) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the post	:	Assistant Director (Civil Engineering)
2. Number of posts	:	3* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	:	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.
4. Scale of pay	:	Rs. 8000-275-13,500
5. Whether Selection post or Non-Selection post	:	Selection
6. Age limit for direct recruits	:	Not exceeding 35 years. **Note 1 :** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
7. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	:	No
8. Educational and other qualification required for direct recruits	:	**Essential :** (i) Degree in Civil Engineering of a recognized University or equivalent. (ii) Three years' experience in the field of Coastal Engineering/investigations and design of Maritime Structures/Projects. **Desirable :** Experience in Aquaculture Projects—Survey, planning and designing. **NOTE 1. :** Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **NOTE 2. :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
9. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	Age : No Educational Qualifications : No, but must possess atleast a Diploma in Civil Engineering from a recognised University/Institute or equivalent.
10. Period of probation, if any	:	Two years.

11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	:	66.66% Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment 33.33% deputation failing which by direct recruitment.
12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	:	**Promotion :** (i) Assistant Engineer (Civil) with 5 years regular service in the grade. (ii) Persons holding the posts of Assistant Engineer (Civil) on regular basis on the date of notification of the revised rules with three years regular service in the grade shall be eligible for promotion. **Note:** Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their service would also be considered provided that they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation**: Officers under the Central Government/State Governments/Union Territories :— (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) with 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500—9000 or equivalent in the cadre/department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruitment under column (8). The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	:	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :—** 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary (Fisheries) —Member 3. Fisheries Development Commissioner —Member 4. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries, Bangalore —Member

		Group 'A' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :— 1. Joint Secretary (Fisheries) —Chairman 2. Fisheries Development Commissioner —Member 3. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	:	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. 4/15/99-Fy (Admn)]

R.K. MEHTA, Under Secy.

लघु उद्योग मंत्रालय

(विकास आयुक्त का कार्यालय)

(लघु उद्योग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2003

सा. का. नि. 409.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लघु उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन (ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, लघु उद्योग मंत्रालय के अधीन लघु उद्योग विकास संगठन में ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लघु उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन (ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक
2. पदों की संख्या	:	15* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।